जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 31.01.2024

आज दिनांक 31.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री के0एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जालसाजी/धोखाधड़ी कर लोगों का धन दोगुना करने का लालच देकर उनके रुपये हडपने के मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक को0 खलीलाबाद ***श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 31.01.2024 को मु0अ0सं0 438/2020 धारा 419/420/467/468/471/406/506/120बी/409/474 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता सैयद अली पुत्र आस मोहम्मद ग्राम राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मुखबिर खास की सूचना पर मेंहदावल बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता सैयद अली पुत्र आस मोहम्मद ग्राम राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

विवरण-

विदित हो की उक्त अभियुक्त द्वारा ओरियंटल इंडिया किसान शक्ति ग्रुप आफ कम्पनीज खोल कर लोगों को धन 06 वर्षों में दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए जमाकर्ताओं का पैसा लेकर फरार हो गए। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 438/2020 धारा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । घटना में वांछित अभियुक्त को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमउ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 मुरली मनोहर।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 31.01.2024

आज दिनांक 31.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डॉ0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 गुमशुदा बालिकाओं को किया गया बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 43/2024 धारा 363 भा0द0वि0 के मामले मे थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 गुमशुदा बालिकाओं को बरामद करते हुए

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमित कुमार चतुर्वेदी, हे0का0 प्रदीप सिंह, का0 लवकेश यादव, म0आ0 नीलम यादव।

जनपद – संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 31.01.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 02 अदद मोबाईल (गुमशुदा) को चिन्हित कर बरामद करते हुए उनके वास्तविक मोबाईल धारकों को सुपुर्द किया गया

आज दिनांक 31.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री के0एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री केशवनाथ* व प्रभारी निरीक्षक धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में CEIR पोर्टल व अन्य तकनीकी साधनो की मदद से थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत 02 अदद मोबाईल (गुमशुदा) को चिन्हित कर बरामद कराया गया तथा वास्तविक मोबाईल धारकों को सुपुर्द किया गया।

1. आवेदक विवेक यादव निवासी ग्राम खेवसिया थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा CEIR पोर्टल पर दिनांक 26.12.2023 को मोबाईल वीवो वी2029 गुमशुदगी की सूचना दर्ज करायी गयी थी। पोर्टल के माध्यम से उक्त मोबाईल को चिन्हित कर दिनांक 28.01.2024 को उक्त मोबाईल बरामद किया गया तथा वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया गया। उक्त मोबाईल की कीमत करीब 17000/- रूपए है।

2. आवेदक रामअशीष मौर्या पुत्र घोलई निवासी ग्राम खेवसिया थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा CEIR पोर्टल पर दिनांक 29.12.2023 को मोबाईल वीवो वी29ई गुमशुदगी की सूचना दर्ज करायी गयी थी। पोर्टल के माध्यम से उक्त मोबाईल को चिन्हित कर आज दिनांक 29.01.2024 को उक्त मोबाईल बरामद किया गया तथा वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया गया। उक्त मोबाईल की कीमत करीब 30000/- रूपए है।

उपरोक्त दोनो आवेदक मोबाईल प्राप्त करने के उपरान्त पुलिस को भूरि भूरि प्रशंसा किये तथा पुलिस को धन्यवाद दिये। आमजनमानस से अपील किया जाता है, अपने मोबाईल गुमशुदगी की सूचना थाना स्थानीय पर अथवा CEIR PORTAL पर समय से दर्ज कराये ताकि पुलिस द्वारा बरामदगी की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा सके।

बरामदगी करने वाली टीम का नाम

- क0आ0ग्रेडए धीरज कुमार उपाध्याय, आरक्षी लवकेश यादव, आरक्षी सन्तोष यादव।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 31.01.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थान पर लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 31.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना महुली*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरें व ***थाना बखिरा*** पुलिस द्वारा 01 स्थान 03 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 31.01.2024***

आज दिनांक 31.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में घायल 07 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत चमनगंज से इवेन्ट संख्या 00822 से कालर द्वारा सड़क मार्ग पर दोनों तरफ से चार पहिया वाहन आपस में टकरा जाने के कारण दुर्घटना में 07 व्यक्तियों (**1- अमित कुमार चौरसिया पुत्र शंकर प्रसाद, 2- राहुल चौरसिया पुत्र राम प्रताप चौरसिया, 3- रामगोपाल चौरसिया पुत्र राम प्रसाद, 4- प्रियंका पुत्री राम प्रसाद निवासी पुरन्दरपुर, 5- उमेश पुत्र राम अचल यादव, 6- कल्पी देवी पत्नी राम प्रसाद, 7- मनोज यादव पुत्र हरिप्रसाद निवासीगण कम्हरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर**) के घायल के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ-आ0 विशाल गुप्ता,हो0चा0 अजय त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 123 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 123 वाहनों से 1,47,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 31.01.2024***

आज दिनांक 31.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 04 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 79/2024 धारा 147/323/504/506/307/34 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1. मो0 हुजैफा पुत्र इश्तियाक अहमद उर्फ बबलू निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2. शाहिद पुत्र मो0 यहिया निवासी मुखलिस पुर चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 3. मो0 फैसल पुत्र रईश अहमद खां निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 4. मो0 वकील पुत्र मो0 नसीम निवासी बरदहिया बाजार मस्जिद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मेंहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण - 01 अदद घटना में प्रयुक्त डण्डा, 01 अदद फिंगर पंच।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 30.01.2024 को लाल मैरेज हाल के पास मोहल्ला मोतीनगर में खाली पड़े प्लाट में गुल्ली डण्डा खेल रहे थे। उसी समय दीपक पुत्र रामवृक्ष गुप्ता निवासी काशीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर व दीपक पुत्र मनोज कुमार निवासी गोला बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर मौके पर पहुंचे तथा गुल्ली डण्डा खेलने के लिये बात करने लगे तथा आपस में कहा सुनी व लड़ाई झगड़ा करने लगे। विवाद के दौरान अभियुक्तगण द्वारा दीपक गुप्ता व उसके साथी दीपक ठठेरा को मार पीट कर घायल कर दिये। उक्त घटना के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0079/2024 धारा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- वरिष्ठ उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री अरविन्द यादव, उ0नि0 श्री विवेकानन्द त्रिपाठी, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, हे0का0 छोटे लाल, का0 संदीप यादव।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 31.01.2024 को ***मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना को0 खलीलाबाद* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 1701/06* धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता विनोद कुमार चौरसिया पुत्र रामसुन्दर चौरसिया निवासी स्टेशन रोड थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 53000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 31.01.2024 को ***अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना को0 खलीलाबाद* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 586/2018* धारा 376/323/504/506 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता जितेन्द्र पुत्र रामचन्द्र निवासी दलेलगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 53000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । धारा 323/504/506 भा0द0वि0 के अपराध में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । सश्रम कारावास की सभी सजाये साथ-साथ चलेगी ।